



कार्यालय आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर,
OFFICE OF THE COMMISSIONER CENTRAL GOODS & SERVICES TAX,
जी-105, न्यू जोधपुर औद्योगिक क्षेत्र, जोधपुर-342 003
G-105, NEW JODHPUR INDUSTRIAL AREA, JODHPUR-342003
Tel.No. 0291-2795110, 147, 154
e-mail : commcexjodh@rediffmail.com

फा.सं. 11(03)4/स्था./जेडीआर/2019/

दिनांक : 27.08.2019

स्थापना आदेश संख्या : 11/2019

दिनांक : 27.08.2019

कार्यालय मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर (जयपुर जोन), जयपुर के स्थापना आदेश संख्या 43/2019 दिनांक 18.07.2019 एवं 54/2019 दिनांक 19.08.2019 के तहत इस आयुक्तालय को आवंटित एवं इस आयुक्तालय में कार्यरत निम्नलिखित मंत्रालयिक अधिकारियों को तुरन्त प्रभाव से, अग्रिम आदेशों तक उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये स्थान पदास्थापित किया जाता है:-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम व पदनाम सर्व श्री	कहाँ से	कहाँ को
1	Ved Prakash Meena EA	Estt./ Acctts. Branch. Hqrs., Jodhpur	CGST Dn. C, Jodhpur
2	Hukum Singh, EA	UOP	CGST Dn. A, Jodhpur
3	Om Prakash Dudi, TA	Admn. Branch, Hqrs. Jodhpur	Estt./ Acctts. Branch, Hqrs., Jodhpur
4	Yogesh Sharma, TA	CGST Dn. A, Jodhpur	CGST Dn. H, Srীগंगानगर
5	Kuldeep Singh Rajpurohit, TA	CGST Dn. D, Pali	CGST Dn. G, Bikaner
6	Jujhar Singh, LDC	UOP	CGST Dn. B, Jodhpur
7	Padma Ram, LDC	Receipt & Dispatch Br., Hqrs. Jodhpur	Admn. Br., Hqrs. Jodhpur
8	Man Mohan Singh Rathore, LDC	CGST Dn.-A, Jodhpur	CGST Dn. D, Pali
9	Yudhishter Singh, LDC	CGST Dn. C, Jodhpur	CGST Dn. E, Pali

यह आदेश सक्षम अधिकारी महोदय की संस्वीकृति से जारी किये जा रहे हैं।

नोट:-

1. संभाग प्रभारी अपने अधीनस्थ मंत्रालयिक अधिकारियों को आवश्यकता के अनुसार कार्यभार आवंटित करना सुनिश्चित करें।
2. उपरोक्त सभी अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं कि वे उचित तरीके से पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें तथा कार्यभार मुक्त होने वाले अधिकारी कार्यग्रहण करने वाले अधिकारी को उचित तरीके से चार्ज एवं विभागीय पासवर्ड कार्यभार ग्रहण करने वाले अधिकारी को सुपुर्द करें।
3. इस आदेश के जारी होने की तिथि तक प्राप्त समस्त अभ्यावेदनों पर विचार कर उनका निस्तारण कर दिया गया है।
4. इस आदेश के विरुद्ध प्राप्त अभ्यावेदनों पर अधिकारी द्वारा नए पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात ही विचार किया जायेगा।
5. इस आदेश के क्र.सं. 4 एवं 5 पर अंकित अधिकारियों को टीटीए/ज्वाइनिंग टाईम देय नहीं होगा क्योंकि उनका स्थानान्तरण, उनके स्वयं अनुरोध पर किया गया है।

(मिति न वापा)

संयुक्त आयुक्त (का. एवं सत.)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अपर आयुक्त, कार्यालय मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर (जयपुर जोन), जयपुर।
2. सहायक आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर संभाग-ए.बी.सी. जोधपुर/डी.ई., पाली/एफ.जी. बीकानेर/एच.आई, श्रीगंगानगर।
3. सहायक आयुक्त (सु.), सीमा शुल्क, जयपुर/जोधपुर।
4. वेतन एवं लेखाधिकारी, केन्द्रीय वस्तु, सेवाकर एवं सीमा शुल्क, जयपुर।

- 5 महासचिव संबंधित अधिकारी सच जयपुर।
- 6 प्रो. प्रो. / गार्ड फाइल / नोटिस वार्ड।
- 7 प्रो. प्रो. / अधुक्त / अपर आयुक्त, केंद्रीय पस्तु एव सेवाकर आयुक्तालय, जोधपुर।
- 8 विभागीय वेबसाईट www.centralexercisejaipur.nic.in में प्रकाशन हेतु।